

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

₹. 100



Rs. 100

25 JUN 2023

HUNDRED RUPEES



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U.S. 100 Rupees GM 866013



(प्रारूप—"अ")

समक्षः प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

हम लालजीत सिंह पुत्र स्व० राम चन्द्र सिंह एवं श्री रणविजय सिंह पुत्र स्व० भवानीकेर सिंह क्रमशः प्रबन्धक एवं अध्यक्ष एस०एस० मेनोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्राम व पोस्ट करीमपुर, लौदीली, अयोध्या शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

धारा-1 यह कि हमारी सोसाइटी/द्रस्ट द्वारा एस०एस० मेनोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्राम व पोस्ट करीमपुर, लौदीली, अयोध्या नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

धारा-2 यह कि हमारी सोसाइटी/द्रस्ट के नाम करीमपुर, लौदीली, अयोध्या में भूमि स्थित है गाटा संख्या 285 कुल रकमा 0.8160हें भूमि है।

धारा-3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी घाव किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

धारा-4 यह कि उपरोक्त परो पर सोसाइटी/द्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 285 कुल रकमा 0.8160हें भूमि है। पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/द्रस्ट की बैठक दिनांक 02.04.2020 द्वारा पारित किया गया है।

धारा-5 यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नहीं के अनुसार किया गया है।

धारा-6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त परो पर सोसाइटी/द्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(1) Respondent S/o
Identified by S/o
QWOM AND VERIFIED BEFORE
11/9/23

लालजीत सिंह

रणविजय सिंह

haljeet singh / Ranveer Singh
Anil Singh / Ranveer Singh
11/9/23

धारा-7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

धारा-8 यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

धारा-9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, U030 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।


धारा-10 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।


धारा-11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

धारा-12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय नियमों में गानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की नियमण एवं सम्बद्धता समेति द्वारा लिया गया निर्णय अतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा-13 हम घोषणा करता/करती हैं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अग्रिम/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।


लाल सिंह
H0 प्रबन्धक


रणवीर जय सिंह
H0 अध्यक्ष


Arvind Singh
Liaison Officer
Inter-ministerial Cell
Swarna Ambika Project
NOT/24/19/23